

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर**

क्रमांक : एफ 5( )2013 / कार्मिक प्रमुवसं-07561

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण,

विषय :- IFMS 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने के संबंध में।

संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक प.5 (13) कार्मिक /क-1/97-01205 दिनांक 07.06.2024 एवं निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर का पत्रांक प.5(328)निपेंवि/नियम/ई-मॉड्यूल/2023 दिनांक 27.05.2024।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, द्वारा पत्रांक प.5 (13) कार्मिक /क-1/97-01205 दिनांक 07.06.2024 द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 की अनुपालना में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दिवस पर ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध कराने एवं कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तक पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित कर समय पूर्व पेंशन परिलाभों की स्वीकृतियां जारी करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 5(328)निपेंवि/नियम/ई-मॉड्यूल/2023 दिनांक 27.05.2024 का पत्र संलग्न कर लेख है कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीया

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5( )2013 / कार्मिक प्रमुवसं-07561

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर  
Document certified by Shikha Mehra  
<shikhamehrafts@gmail.com>.

Digitally Signed by Shikha Mehra  
Designation: Principal Chief  
Conservator OF Forest  
Date :05-07-2024 07:33:06

8645868